झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड, विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	झारखण्ड की जीवन रेखा N.H.- 33 का महुलिया से बहरागोड़ा तक 55 कि0मी0 तथा N.H.- 6 का जामशोला (ओड़िशा सीमा) से दारिसोल (पश्चिम बंगाल सीमा) 23 कि0मी0 सड़क की हालत अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय है। घाटशिला से बहरागोड़ा तक अधिकतर जगह पर सड़क गड्ढों में तबदील हो गया है। जिसके चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याता-यात बाधित होने के कारण जिला और अनुमंडल मुख्यालय से सम्पर्क अधिकतर समय टुट जाता है। जिसके चलते जनता में भारी आक्रोश है। ममता वाहनों में महिलाओं का प्रसव तथा दुर्घटनाओं में लोगों की मौत आम बात हो गयी है। पड़ोसी राज्य से आने-वाले लोगों के सामने राज्य की प्रतिष्ठा एवं सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इस ज्वलन्त समस्याओं की ओर मैं सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	पथ निर्माण
02-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची एवं क्षेत्रीय कार्यालय दुमका एवं पलामू में विगत 5 वर्षो से अधिक से कार्यरत दैनिक कर्मियों का समायोजन तथा सेवा नियमितीकरण नहीं होने से कर्मियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		बहुत से कर्मियों की सरकारी सेवा में प्रवेश की उम्र समाप्त हो गई है, उल्लेखनीय है कि परिषद् एक स्वायत शासी संस्था है जिसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 352 पद सृजित रहने के बावजूद इन कर्मियों की सेवा नियमित नहीं होने से कर्मियों के साथ-साथ जैक के भी कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है। इन कर्मियों के सृजित पद के विरुद्ध सेवा नियमित होने से सरकार के उपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। अतएव जैक में दैनिक कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	साहेबगंज जिला में गंगा पुल निर्माण की माँग आजादी के बाद से होता रहा है। साहेबगंज गोविन्दपुर सड़क के विस्तार कर गंगा नदी पर पुल बनाकर कटिहार N.H. से जोड़ने की योजना है। इस पुल के बनने से संथाल सहित पूरे झारखण्ड का आर्थिक प्रवेश द्वार बनेगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का यह बड़ा माध्यम बनेगा। व्यापारिक प्रवेश द्वार का माध्यम यह पुल बनने से झारखण्ड का होनेवाला है। सामरिक दृष्टि से भी यह पुल महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से पुल निर्माण की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
04-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत डालटनगंज विधान सभा क्षेत्र में शहर से गाँव तक पीने की पानी के लिए हाहाकार मची है व लगातार अकाल सुखाड़ रहने के कारण पुरे क्षेत्र के भुगर्भ में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, शहर के अनेको क्षेत्र ड्राइजोन घोषित हो चुकी है, नदी, नाला, आहर, तलाब कुआं सभी सुख गया है, पीने के पानी के अभाव में जीव-जन्तु भी प्रभावित हो रहे है। अतः शहर से गांव तक पीने की पानी की समस्या का यथाशीघ्र निदान कराने हेतू सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

01.	02.	03.	04.
05-	सर्वश्री विरंची नारायण, राधाकृष्ण किशोर एवं श्रीराजकिशोर महतो, स०वि०स०	सरकार के कार्यो एवं योजनाओं की आम नागरिकों को जानकारी हेतु राज्य सरकार के विभागों द्वारा वेबसाइट का संचालन किया जाता है। पूर्व में कई विभागों के वेबसाइट में अद्यतन सूचनाएं रहती थी। लेकिन बाद में जैप आइटी द्वारा सभी वेबसाइट का पोर्टल बनाने के बाद सभी विभागों के वेबसाइट बेकार हो गये हैं। ज्यादातर वेबसाइट को अपडेट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि सरकार गठन के दो माह बाद भी कई विभागों के वेबसाइट पर मंत्री एवं पदाधिकारियों की सूची अद्यतन नहीं की गयी है। कई वेबसाइट में भी सिर्फ कॉलम बनाकर खाली छोड़ दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इस कार्य में घोर अनियमितता की गयी है। अतएव इस मामले की गंभीर जाँच करके दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	सूचना एवं प्रावैधिकी

राँची
दिनांक- 04 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-02/2015-620/वि० स०, राँची, दिनांक- 03/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/पथ निर्माण विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-02/2015-620/वि० स०, राँची, दिनांक- 03/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

03/03